रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/95

REGISTERED NO. DL—33001/95

CENTRAL LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1995 (चैत्र 11, 1917)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1995 (CHAITRA 11, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	389
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	293
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	479
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	279
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	261
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	535
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	41
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण	*

*कोई प्रकाशित नहीं हुआ

1—1 GI/95

CONTENTS

	PAGE
PART I— SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	389
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	293
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	479
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). .	*
PART II—SECTION 3—SUB SECTION. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	279
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	261
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	535
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	41
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

* Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 1995

सं० 103-प्रेज/95—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री पी० पी० वेणुगोपालन
फायरमैन
केरल ।

सेवा का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

प्रतिवर्ष जून से अगस्त माह तक चलने वाले दक्षिण-पूर्वी मानसून के दौरान लगातार बारिश के कारण केरल के उत्तरी भाग में आम तौर पर बाढ़ आती है । इस बाढ़ से जान-माल और पशुधन की बड़ी भारी हानि होती है ।

13 जुलाई 1994 की प्रात: उत्तरी केरल के कन्नूर जिले के कालियाड पंचायत में मट्टारा के वन्य क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ । यह क्षेत्र मट्टारापुझा नदी के तट पर स्थित है । इसकी वजह से भारी बाढ़ आ गई जिससे एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया और सभी पुल क्षतिग्रस्त हो गए जिससे उस क्षेत्र में परिवहन के सभी साधन और संचार प्रणाली अस्तव्यस्त हो गई । मट्टारा दरअसल मुख्य भू-भाग से पूरी तरह कट गया ।

खतरा भांपते हुए, श्री जोस के परिवार, जिसमें 5 लोग थे, को छोड़कर मट्टारा के अधिकांश निवासी समय पर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए । प्रात: 9 बजे तक मट्टारापुझा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया और नदी का बहाव भीषण रूप से तेज हो गया । अत: स्थानीय लोगों के लिए श्री जोस के परिवार को बचाने की कोशिशें करना नामुमकिन हो गया । इस पर स्थानीय अग्निशमन सेवा की सहायता मांगी गई और तब सहायक सम्भागीय अग्निशमन अधिकारी कन्नूर 2 फायर टैंकरों और कार्मिकों सहित 55 कि० मी० दूरी पर स्थित मट्टारा पहुंचे । अग्निशमन सेवा के कार्मिकों में कन्नूर अग्निशमन केन्द्र के फायरमैन श्री पी० पी० वेणुगोपालन भी शामिल थे ।

दुर्घटनास्थल पर पहुंचने पर सहायक सम्भागीय अग्निशमन अधिकारी ने तबाहीग्रस्त क्षेत्र का विस्तृत-सर्वेक्षण किया । परिवहन और संचार का कोई अन्य साधन न मिलने के कारण नदी के आर-पार एक रोप-ब्रिज बनाने का निर्णय किया गया । नदी के तट के नजदीक एक मजबूत पेड़ से एक मनीला रस्सा बांधा गया और उसका खुला सिरा नदी के दूरस्थ तट की ओर फेंका गया और वहां फंसे लोगों से कहा कि वे इसे एक और मजबूत पेड़ से बांध दें और इस प्रकार एक रोप-ब्रिज तैयार किया गया । तत्पश्चात् फायरमैन श्री पी० पी० वेणुगोपालन ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना रोप-लिंक के सहारे खतरनाक "मंकी क्राउल" तकनीक द्वारा उफनती नदी को पार किया । उस समय तक एक एक्सटेंशन लैडर के पायदान को एक पेड़ के साथ और सीढ़ी के आगे निकले हुए हिस्से को गाइड लाइन के साथ बांध दिया गया । उसके बाद विस्तारित एल्युमीनियम की सीढ़ी को मट्टारा नदी के आर-पार रखा गया और इस प्रकार एक काम चलाऊ पुल बनाया गया । तब फायरमैन श्री पी० पी० वेणुगोपालन ने एक-एक करके श्री जोस के परिवार के पांच फंसे हुए सदस्यों को कामचलाऊ पुल से नदी के पार निकाल लिया और इस प्रकार अपनी जान का खतरा उठाते हुए भी अमूल्य जिंदगियों की रक्षा की ।

श्री पी० पी० वेणुगोपालन फायरमैन ने अपनी त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से अदम्य बहादुरी, साहस, कर्तव्यनिष्ठा और उच्च कोटि की नि:स्वार्थ सेवा का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार अग्निशमन सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(1) के अधीन बहादुरी के लिए दिया जाता है। और इसके परिणामस्वरूप उन्हें समय-समय पर यथासंशोधित नियम 5 (क) के अधीन स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 13 जुलाई 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं 104-प्रेज/95--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री आई० जे० बडिगेर
प्रशिक्षक
सी० टी० आई०
कर्नाटक ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित तालाकाड कावेरी नदी के तट पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पांच मन्दिर विद्यमान हैं। तालाकाड में "पंचलिंग दर्शन" के लिए सात वर्षों में एक बार "यात्राएं" आयोजित की जाती हैं जिनमें दूर-दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु व्यक्ति भाग लेते हैं। पिछली बार यह "यात्रा" 7 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 1993 तक आयोजित की गई थी तथा उस समय भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए तालाकाड में होमगार्डस को तैनात किया गया था।

13 दिसम्बर 1993 को लगभग 10 बजे प्रातः तालाकाड के दूसरी तरफ से कावेरी नदी को पार करते समय चार तीर्थ यात्री भंवर में फंस कर उग्र नदी की तेजधार में बहने लगे। सहायता के लिए उनकी चीख पुकार सुनकर होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान कर्नाटक के प्रशिक्षक श्री आई० जे० बडिगेर उस समय तालाकाड में तैनात होम गार्डस के प्रभारी थे, का ध्यान उनकी ओर गया। उनकी चीख पुकार सुनकर श्री बडिगेर ने बगैर कोई समय गंवाए तथा अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगा दी और काफी प्रयास के बाद डूबते हुए चारों व्यक्तियों को भंवर एवं धारा से बचाकर सकुशल किनारे पर ले आए। जब वे उन व्यक्तियों को सकुशल किनारे तक ला रहे थे तब उन्होंने देखा कि 70 व्यक्तियों का एक समूह उसी खतरनाक स्थान से पानी में उतरने का प्रयास कर रहा है। श्री बडिगेर ने इन लोगों को वहां पानी में न उतरने की चेतावनी दी और बाद में उन्हें सकुशल नदी पार करवाई। इस प्रकार उन्होंने एक बहुत बड़ी दुर्घटना को टालने में भी मदद की।

श्री आई० जे० बडिगेर प्रशिक्षक ने बिना किसी दुविधा के शीघ्र कार्रवाई करके उच्च स्तर के शौर्य साहस प्रत्युत्पन्न-मति, कर्तव्यनिष्ठा तथा निःस्वार्थ सेवा की भावना का परिचय दिया।

यह पुरस्कार होम गार्डस एवं नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (1) के अन्तर्गत बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप उन्हें समय-समय पर यथा संशोधित नियम (5) के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 13 दिसम्बर 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 105-प्रेज/95--राष्ट्रपति, निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए गृह रक्षा तथा नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री वाई० एच० कृष्णप्पा,
सैनिक,
सी० टी० आई०,
कर्नाटक।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

कुमारी मारिया नामक एक लड़की 20 अप्रैल, 1994 को लगभग 12.30 बजे अपराह्न बंगलौर स्थित उलसूर झील में गिर पड़ी तथा बहते-बहते किनारे से लगभग 15 मीटर दूर चली गई जहां झील की औसत गहराई लगभग 10 फुट थी। किनारे से इस स्थान तक का क्षेत्र दलदल और कीचड़ तथा जलीय वनस्पति से भरा था जिसके कारण बचाव के लिए वहां तक पहुंच पाना बड़ा कठिन काम था। चारों तरफ देखने वालों की भीड़ लगी थी लेकिन डूब रही लड़की की सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था।

श्री वाई० एच० कृष्णप्पा, होम गार्ड (पी० सी० 251/सैनिक) इस क्षेत्र में स्थित नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्डस निदेशालय के गेट पर ड्यूटी पर तैनात थे। डूब रही लड़की की सहायता के लिए चीख-पुकार तथा वहां एकत्रित जन-समूह के शोर गुल को सुनकर श्री कृष्णप्पा बिना कोई समय गंवाए घटना घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े तथा अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए झील में कूद पड़े तथा दलदल कीचड़ एवं लताओं के बीच तैरते हुए अर्द्धमूर्छित लड़की को बचाकर सकुशल झील के किनारे तक ले आए। बाद में लड़की को होश में लाने के लिए उन्होंने कृत्रिम श्वसन सहित अन्य सभी प्राथमिक उपचार किए।

श्री वाई० एच० कृष्णप्पा, होम गार्डस (पी० सी० 251 सैनिक) ने बिना किसी दुविधा के शीघ्र कार्रवाई

करके उच्च स्तर के शौर्य, साहस, प्रत्युत्पन्नमति, कर्तव्यनिष्ठा तथा निःस्वार्थ सेवा भावना का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार होम गार्डस एवं नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(1) के अन्तर्गत बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप उन्हें समय-समय पर यथासंशोधित नियम (5) के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 20 अप्रैल, 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 105-पेज/95—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री एस० एस० भाटी (मरणोपरान्त)
गार्डसमैन (स्वयंसेवक),
राजस्थान ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

श्री सारंग सिंह भाटी, गार्डसमैन (बोर्डर रिंग होम गार्डस, बीकानेर के होम गार्ड स्वयं सेवक सं० 113) को 7 दिसम्बर, 1992 को, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद कहाए जाने के बाद साम्प्रदायिक तनाव अपने चरम पर था, साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील जयपुर के रामगंज पुलिस थाना क्षेत्र में कानून व व्यवस्था ड्यूटी पर पुलिस के सहायक के रूप में तैनात किया गया था । उस सुभाग्यपूर्ण दिन, स्वर्गीय भाटी भी उस गश्तीदल के एक सदस्य थे जिसकी मुठभेड़ उस इलाके में आतंक मचा रही लाठियों, लोहे की छड़ों आदि से लैस बेकाबू भीड़ से हो गई । श्री सारंग सिंह भाटी और गश्तीदल ने निर्भीकतापूर्वक भीड़ का सामना किया और उसे शान्त करने और आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की । इस संघर्ष में, श्री भाटी मुख्य गश्तीदल से बिछुड़ गए लेकिन वे अकेले ही सीटी बजाते हुए और चिल्ला-चिल्लाकर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकते रहे । अचानक कुछ दंगाइयों ने उनके सिर पर लोहे की छड़ से वार किया और उसके बाद कुछ अन्य दंगाइयों ने उन पर बन्दूक से गोली चलाई । ऐसे घातक चोट लगने के बाद भी, श्री भाटी, जब तक उनके शरीर में प्राण रहे, भीड़ को आगे बढ़ने से रोकते रहे ।

इस मुठभेड़ में श्री सारंग सिंह भाटी, गार्डसमैन (होम गार्डस स्वयं सेवक सं० 113, बोर्डर रिंग होम गार्डस, बीकानेर) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार होमगार्डस और नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(1) के अधीन बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें समय-समय पर यथासंशोधित नियम-5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 7 दिसम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 107-पेज/95—राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि 7 अक्तूबर, 1974 को अधिसूचना सं० 101-पेज/74 के अधीन, शनिवार, 19 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित "राष्ट्रपति का गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक" और "गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक" को शासित करने वाले नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :—

'गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक"

नियम 3(ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"दस से पन्द्रह वर्ष की अवधि के गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा संगठन के नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों तथा आठ वर्ष की अवधि के उपर्युक्त संगठन के स्वयंसेवी सदस्यों की दीर्घकालीन सेवा या क्षमता तथा योग्यता सहित ड्यूटी पर समर्पण भाव से की गई अति महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए"।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 23 फरवरी 1995

संकल्प

सं० 4-5/92-(आर०) प्रेम—दिनांक 8 सितम्बर, 1992 को भारत सरकार की अधिसूचना सं० 4-5/92 (आर)प्रेम के रूप में, कल्याण मंत्रालय में 31 सितम्बर 1992 से 31 अगस्त 1994 तक दो वर्ष की अवधि के लिए गठित समाज कल्याण अनुसंधान सम्बन्धी सलाहकार समिति के कार्यालय को 31 दिसम्बर, 1994 तक एतद्द्वारा बढ़ाया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

भगवती प्रसाद,
संयुक्त सचिव

(प्रेम प्रभाग)

दिनांक 24 फरवरी 1995

संकल्प

स० 1-18/93 (आर) प्रेम.—दिनांक 8 सितम्बर, 1992 व 23 फरवरी, 1995 की सरकारी अधिसूचना स० 4-5/92 (आर) प्रेम का अधिक्रमण करते हुए और कल्याण मंत्रालय की समाज कल्याण अनुसंधान सम्बन्धी संयुक्त सलाहकार समिति का निम्नलिखित विषय पर कल्याण मंत्रालय को परामर्श देने के लिए एतद्द्वारा पुनर्गठन किया जाता है :—

(1) सामाजिक कल्याण, समाज नीति और सामाजिक विकास, अनुसूचित जाति कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण में अनुसंधान का उपयोग तथा बढ़ावा देने/समन्वय करना,

(2) उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान के क्षेत्रों की पहचान करना,

(3) व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त विभिन्न अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं की जांच करना और अनुमोदन करना, और

(4) उक्त क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने से सम्बन्धित अन्य कोई कार्य ।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	सचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ।	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर सचिव, कल्याण मंत्रालय ।	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	संयुक्त सचिव, (एम० एण्ड बी० सी०) कल्याण मंत्रालय ।	सदस्य (पदेन)
4.	संयुक्त सचिव, (एस० डी०) कल्याण मंत्रालय ।	सदस्य (पदेन)
5.	संयुक्त सचिव, (एस० सी० डी०), कल्याण मंत्रालय ।	सदस्य (पदेन)
6.	संयुक्त सचिव, (डी० डी०) कल्याण मंत्रालय ।	सदस्य (पदेन)
7.	संयुक्त सचिव, (एच० डब्ल्यू०), कल्याण मंत्रालय ।	सदस्य (पदेन)
8.	सलाहकार (समाज कल्याण) योजना आयोग ।	सदस्य (पदेन)
9.	भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय ।	सदस्य (पदेन)
10.	महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ।	सदस्य (पदेन)
11.	डा० मितन प्रसाद, बी० सी०—10 ई, डी०डी० ए० फ्लैट्स, मुनिरका, नई दिल्ली-110067	सदस्य
12.	श्री वसन्त मून, अध्यक्ष/निदेशक, नालन्दा चेरीटेबल ट्रस्ट, बाई-6/90, गवर्नमेंट कालोनी, बान्द्रा (ईस्ट), बम्बई-400051.	सदस्य
13.	प्रोफेसर पी० के० भौमिक, 727, लेकटाउन, कलकत्ता-700089.	सदस्य
14.	प्रो० जे० एम० भट्टारी, डिपार्टमेंट एन्थ्रोपोलोजी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।	सदस्य
15.	श्री लाल अडवाणी, मार्फेन ब्लाइन्ड रिलीफ एसोसिएशन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली-110003.	सदस्य
16.	श्रीमती शान्ति रंगनाथन, अवैतनिक सचिव व निदेशक, टी० टी० रंगनाथन, क्लीनिक रिसर्च फाऊंडेशन, टी० टी० के० होस्पिटल, 4 मेन रोड, इंदिरा नगर, मद्रास-600020.	सदस्य

17. श्री नारायण सिंह, मानकलॉ सदस्य
ओपियन–डी–एडिक्शन ट्रीटमेंट रिसर्च
पो० ओ० मानकला,
जिला जोधपुर,
(राजस्थान)।

18. प्रो० गुलाम रसूल, सदस्य
हेड आफ दी पोस्ट ग्रैज्यूएट
शिक्षा विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू।

19. डा० डी० आर० गाडेकर, सदस्य
सदस्य,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बी/1, विक्रम बाग,
प्रतापगंज,
बड़ौदरा–390 002.

20. प्रो० मो० अब्बास अली सदस्य
आन्ध्र प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग,
हाउस नं० 267, एच ब्लाक,
सचिवालय,
आंध्र प्रदेश–500 022
(ए० पी०)।

21. संयुक्त निदेशक (अनुसन्धान), सदस्य-सचिव
पी० आर० ई० एम० प्रभाग,
कल्याण मन्त्रालय।

3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष अर्थात् 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसम्बर, 1996 तक होगा तथापि, भारत सरकार किसी भी समय समिति का पुनर्गठन कर सकती है।

4. समिति की सदस्यता के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तथापि, सरकारी सदस्य अपने सम्बन्धित कार्यालयों से उनके लिए लागू नियमों के अनुसार इस कार्य के लिए की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस समिति के गैर सरकारी सदस्य बैठकों में उपस्थित होने के लिए अपनी यात्रा हेतु भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को यथा प्राप्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

भगवती प्रसाद,
संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1995

सं० क्यू० –16012/1/93/ई० एस० ए० (एन० एल० आई०)—जबकि दिनांक 18 अगस्त 1994 की अधिसूचना संख्या क्यू० –16012/1/93— ई० एस० ए० (एन० एल० आई०) के तहत राष्ट्रीय श्रम संस्थान का पुनर्गठन किया गया था।

अब उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित परिवर्तन किये जाते हैं –

(i) विद्यमान प्रविष्ट के लिए :–

"श्रम राज्य मंत्री — अध्यक्ष"

निम्नलिखित प्राविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :–

"केन्द्रीय श्रम मंत्री — अध्यक्ष"

(ii) "केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि (9)" शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के लिए :

"श्री जी० के भट्टाचार्य, — सदस्य
महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण,
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।"

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"श्री के० एस० सर्मा, — सदस्य
महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।"

पी० पी० पी० बाबू
श्रम एवं रोजगार सलाहकार

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1995

संकल्प

सं० 10-66/74- सि० सं० :-

1. जबकि यमुना बेसिन में ओखला तक भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने ओखला तक यमुना के प्रवाह के आवंटन के संबंध में दिनांक 12.5.94 को समझौता ज्ञापन (संलग्नक-i) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके खण्ड 7(iii) में प्रावधान है कि इस समझौते के समग्र ढांचे के अन्तर्गत, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आवंटन का विनियमन किया जाएगा।

2. और जबकि राज्य, ओखला सहित ओखला तक, यमुना नदी के समन्वित प्रबन्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की स्थापना के लिए सहमत हैं।

3. और जबकि राज्य रेणुका बांध, किशाऊ बांध, लखवार व्यासी परियोजना, हथनीकुंड बराज और दिल्ली के लिए समानांतर जल वाहक प्रणाली के निर्माण के लिए सहमत हैं और कतरा, चामी रंगराव, अरंगपुर तथा धौज/कोट भण्डारण परियोजनाएं राज्य द्वारा निर्माण हेतु अभिज्ञात की गई हैं।

4. और जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इस बात से सहमत हैं कि राज्यों को अपनी-अपनी सीमाओं के अन्दर यमुना जल के गैर-खपतकारी उपयोग का अनन्य अधिकार होगा।

5. और जबकि राज्य इस बात से सहमत हैं कि पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला/हथनीकुंड हेडवर्क्स के अनुप्रवाह एवं ओखला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में जैसे-जैसे प्रतिप्रवाह भण्डारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाये जायेंगे, 10 क्यूमेक तक न्यूनतम प्रवाह, भंडारणों के निर्माण के अनुपात में, बनाए रखा जायेगा।

6. अतः अब, ओखला तक यमुना नदी के समन्वित विकास और प्रबन्ध की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए तथा यमुना नदी के जल के इष्टतम उपयोग एवं नदी की पारिस्थितिकी बनाये रखने और बेसिन राज्यों को जल का विनियमन एवं आपूर्ति करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, का एतद्द्वारा इस प्रयोजन के लिए निम्नानुसार गठन किया जाता है :

(i) बोर्ड ओखला बराज तक यमुना घाटी में अथवा ऐसे क्षेत्रों में अपने कार्य करेगा तथा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे। केन्द्रीय सरकार इस प्रयोग के लिए राज्य सरकारों के बीच सहमति का प्रयास करेगी।

(ii) बोर्ड का गठन और इसके कार्यकलाप संलग्नक-II में दिए गए अनुसार होंगे।

7. ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति के नाम से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्री (राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित राज्यपाल) शामिल होंगे, जो ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के कामकाज का परीक्षण करेगी एवं यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के सम्बन्ध में दिनांक 12-5-94 के समझौता ज्ञापन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी तथा ओखला तक यमुना नदी बेसिन की ऊपरी पहुंचों के समुचित विकास और प्रबन्धन के लिए आवश्यक निदेश जारी करेगी। बोर्ड के निर्णयों पर यदि कोई असहमति हो, तो उसे पुनरीक्षण समिति के किसी सदस्य द्वारा पुनरीक्षण समिति के पास विचारार्थ भेजा जा सकता है। समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और समिति, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट पर आवश्यक दिशा निदेश देने के लिए विचार करेगी। ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति अपने नियम और पद्धतियां स्वयं बनायेगी। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अध्यक्ष ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति के सचिव होंगे।

एम० एस० रेड्डी
सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प संलग्नकों सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, प्रधानमंत्री सचिवालय भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार परीक्षा, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के पास सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प संलग्नकों सहित भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों से इसे राज्य के राजपत्रों में आम सूचना के लिए प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए।

एम० एस० रेड्डी
सचिव, भारत सरकार

संकलन—1

यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन

1. जबकि ओखला तक यमुना नदी में 75 प्रतिशत विश्वसनीय अवधारित अप्रयुक्त प्रवाह 11.70 बिलियन घन मीटर आंका गया है और औसत वार्षिक उपलब्धता 13.00 बिलियन घन मीटर आंकी गई है ।

2. और जबकि बिना विनिर्दिष्ट आबंटन के सिंचाई एवं पेय जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेसिन राज्यों द्वारा ताजेवाला तथा ओखला से जल का उपयोग किया जा रहा था ।

3. और जबकि कुछ बेसिन राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में मांग की गई और काफी समय से यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधन के विनिर्दिष्ट आबंटन की आवश्यकता महसूस की गई है ।

4. और जबकि यमुना नदी के सतही प्रवाह का उपयोग अधिकाधिक करने के लिए अनेक भण्डारण परियोजनाओं का पता लगाया गया है ।

5. और जबकि सभी राज्य इस बात से सहमत हैं कि परिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह एवं ओखला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में जैसे-जैसे प्रति प्रवाह भण्डारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाए जाएंगे 10 घनमेक तक न्यूनतम प्रवाह, भण्डारणों के निर्माण के अनुपात में, बनाए रखा जाएगा ।

6. और जबकि यह आकलन किया गया है कि बाढ़ उत्सर्ग के कारण 0.68 बिलियन घन मीटर जल की मात्रा का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

7. अतः अब बेसिन राज्य अपनी सिंचाई और खपत कारी पेय जल आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर औसत वार्षिक उपलब्धता के आधार पर यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधनों के निम्नलिखित आबंटन पर सहमत हैं :

1. हरियाणा	5.730 बिलियन घन मीटर
2. उत्तर प्रदेश	4.032 बिलियन घन मीटर
3. राजस्थान	1.119 बिलियन घन मीटर
4. हिमाचल प्रदेश	0.378 बिलियन घन मीटर
5. दिल्ली	0.724 बिलियन घन मीटर

बशर्ते कि निम्नलिखित को पूरा किया जाए :

(i) इस नदी के ऊपरी कछार में भण्डारों का निर्माण होने तक यमुना नदी के वार्षिक उपयोज्य प्रवाह का निम्नानुसार अन्तरिम मौसमी आबंटन होगा :—

यमुना जल का मौसमी आबंटन (बिलियन घन मीटर)

राज्य	जुलाई–अक्टूबर	नवम्बर–फरवरी	मार्च–जून	वार्षिक
हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
दिल्ली	0.580	0.068	0.076	0.724
योग	9.056	1.275	1.652	11.983

परन्तु यह प्रावधान है कि अन्तरिम मौसमी आबंटन दस दिवसीय आधार पर किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि जैसे-जैसे भण्डारणों का निर्माण किया जाएगा, उपरोक्त अन्तरिम मौसमी आबंटन, पैरा–7 में दिखाए गए अन्तिम वार्षिक आबंटन के अनुरूप क्रमिक रूप से संशोधित होते जाएंगे ।

(ii) इस समझौते के अन्तर्गत किए गए समग्र आबंटन के ढांचे में प्रत्येक अभिज्ञात भण्डारण के सम्बन्ध में अलग से समझौता किया जाएगा ।

(iii) इस समझौते के समग्र ढांचे के अन्तर्गत, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा, लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाहों का आबंटन विनियमित किया जाएगा ।

प्रावधान है कि किसी वर्ष में जब जल उपलब्धता आंकलन की गई मात्रा से अधिक हो तो अधिशेष उपलब्ध जल को राज्यों के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

यह भी प्रावधान है कि किसी वर्ष में जब जल उपलब्धता आंकलन की गई मात्रा से कम हो तो पहले दिल्ली के पेय जल आबंटन को पूरा किया जाएगा तथा शेष जल को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

नई दिल्ली, 12 मई, 1994

ह०/-
(मुलायम सिंह यादव)
मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

ह०/-
(भजन लाल)
मुख्य मंत्री
हरियाणा

ह०/-
(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मंत्री
हिमाल प्रदेश

ह०/-
(मदन लाल खुराना)
मुख्य मंत्री
दिल्ली

उपस्थिति में :

ह०/-
(विद्याचरण शुक्ल)
मंत्री (जल संसाधन)

8. इस समझौते की वर्ष 2025 के बाद पुनरीक्षण की जा सकती है यदि बेसिन राज्यों में से कोई राज्य ऐसी मांग करता है ।

9. इस समझौते को शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दी गई सहायता और परामर्श का हम उल्लेख करते हैं एवं कृतज्ञ भाव से आभार प्रकट करते हैं ।

ह०/-
(भैरों सिंह शेखावत)
मुख्य मंत्री
राजस्थान

अनुलग्नक—II

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन और उसके कार्य :

1. गठन

सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग, बोर्ड के अंशकालिक अध्यक्ष होंगे और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों से मनोनीत एक-एक अधिकारी जिनका ओहदा मुख्य इंजीनियर से कम न हो और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक मुख्य इंजीनियर तथा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधि इसके अंशकालिक सदस्य होंगे ।

बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव होगा । उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा एक बार में तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह इन किन्हीं भी बेसिन राज्यों से संबंधित नहीं होगा ।

2. कार्य

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :

(क) दिनांक 12-5-1994 के परामर्शी ज्ञापन के अनुसरण में बेसिन राज्य सरकारों के मध्य हुए समझौते अथवा की गई व्यवस्थाओं का ध्यान रखकर ओखला बराज सहित ओखला तक विद्यमान एवं नदी-प्रवाही जल-विद्युत् केन्द्रों की प्रतिभार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी भण्डारणों और बराजों से जल का विनियमन एवं आपूर्ति करना । नियंत्रण संरचनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण प्रत्येक संरचना के संबंध में समझौतों के अनुसार, संबंधित राज्यों को करना होगा । यदि किसी समय किसी संरचना से प्रवाहों के विनियमन के संबंध में विवाद होता है तो बोर्ड उस संरचना के संचालन एवं नियंत्रण का कार्य उस समय तक करेगा । जब तक कि विवाद का समाधान नहीं हो जाता परन्तु ऐसा कार्य पुनरीक्षण समिति के अनुमोदन से किया जाएगा तथा यह भी कि पुनरीक्षण समिति की बैठक 15 दिन के भीतर नहीं हो पाती है तो पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष इस संबंध में निर्णय करेंगे ।

(ख) परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला/हथनीकुंड हेडवर्क्स के अनुप्रवाह एवं ओखला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में, जैसे-जैसे प्रतिप्रवाह भंडारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाये जायेंगे, 10 क्यूमेक तक न्यूनतम प्रवाह भण्डारणों के निर्माण अनुपात में बनाये रखना ।

(ग) सहमति अनुसार, यमुना से दिल्ली द्वारा लिए गए जल से नगरीय और पेयजल उद्देश्यों के लिए खपतकारी

प्रयोग के बाद तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार बहिस्राव की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपचार उपलब्ध कराने के पश्चात वापसी प्रवाहों का प्रबोधन करना। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड, संबंधित बेसिन राज्यों के परामर्श से ऐसी योजना तैयार करेगा जिसमें वह स्थान जहां से कच्चा पानी लिया जाएगा तथा उसकी मात्रा और वह स्थान जहां पर उचित उपचार के पश्चात अधिक लिए गए जल को प्रणाली को वापिस किया जाएगा, का विवरण दिया गया होगा।

(घ) गाद निकालने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों द्वारा यमुना से लिए गए जल के वापसी प्रवाहों का प्रबोधन करना।

(ङ) हथनीकुंड के प्रतिप्रवाह पर यमुना नदी से खारा जल-विद्युत केन्द्र की टेल रेस चेनल से प्रवाह का प्रबोधन करना, बशर्ते कि हथनीकुंड बराज का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो खारा टेल रेस चेनल का इष्टतम प्रचालन सुनिश्चित कर सके और पश्चिमी यमुना नहर की द्वितीय चरण की जल-विद्युत परियोजना का प्रावधान भी रखा जाए।

(च) विनियमन के प्रयोजन से प्रत्येक राज्य हेतुप्रति 10 दिन के लिए जल की हिस्सेदारी का हिसाब रखने और उसका निर्धारण करने के लिए नियम एवं विनियम बनाना।

(छ) बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे गए सभी केन्द्रों पर यमुना के प्रवाहों का समवर्ती अभिलेख रखना, अभिलेखों पर विचार/उन्हें पूरा करना एवं प्रत्येक जल वर्ष में यमुना नदी में बहने वाले जल की मात्रा का निर्धारण।

(ज) सिंचाई घरेलू, नगरीय एवं औद्योगिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु निकासियों एवं ओखला से नीचे नदी में जल प्रवाह के आंकड़ों का समवर्ती रिकार्ड रखना।

(झ) सभी आवश्यक उपाय, जैसे कि सेल्फ रिकार्डिंग गेजों की प्रतिष्ठापना बिना किसी बाधा के प्रेक्षण रेटिंग कर्व तैयार करने के संबंध में दिशा निर्देश आदि, करके सभी संबंधित राज्यों को उनकी हकदारियों के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना। ऐसे नियंत्रण केन्द्रों का चयन करना, जहां बोर्ड उपरोक्त समुचित उपाय करना चाहता हो जिनमें वे सब केन्द्र, जहां यमुना जल का बंटवारा एक से अधिक राज्यों के बीच किया जा रहा हो तथा संबंधित नदियों एवं नहरों पर स्थित वे सब विनियमन केन्द्र, जहां बंटवारे के योग्य आपूर्ति का निर्धारण किया जा रहा हो, शामिल किए जायेंगे परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे। जहां तक नियंत्रण केन्द्रों के चयन का संबंध है, बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। सभी संबंधित राज्य पूर्ण रूप से सहयोग देंगे और उनकी हकदारियों के अनुसार बोर्ड द्वारा निश्चित की गई आपूर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तियों का विनियमन एवं नियंत्रण, फाटकों का प्रचालन और उनके सीमा क्षेत्र में किन्हीं अन्य मामलों में बोर्ड के दिन प्रतिदिन के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।

(ण) संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करना और उपयुक्त दिशा निर्देश देना ताकि जहां तक संभव हो, निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित किया जा सके :

(1) निधियों की उपलब्धता और शीघ्र परिणाम प्राप्त करने की वांछनीयता को ध्यान में रखकर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण।

(2) पेय जल आपूर्ति, सिंचाई, उद्योग, जल-विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए योजनाओं का एकीकृत संचालन जिनमें बेसिन राज्यों के बीच समझौतों में प्रावधानों के अनुसार विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के दौरान निकासियां भी शामिल हैं।

(3) भूजल एवं सतही जल की गुणवत्ता का प्रबोधन, संरक्षण एवं उन्नयन करना; और

(4) अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन।

(ट) जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, जल विभाजक प्रबन्धन, प्रभावित आबादी का पुर्नवास तथा अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं के पर्यावरण के संरक्षण हेतु योजनाएं एवं अन्य राज्यों के क्षेत्रों को जल मग्न करने वाली परियोजनाओं का सिंहावलोकन।

(ठ) ओखला बराज तक तथा ओखला बराज सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन एवं पुनरीक्षण तथा बेसिन राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजनाओं के आधार पर परियोजनाओं को चरणबद्ध करने के लिए परामर्श देना।

(ड) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के परामर्श से ऊपरी यमुना जल ग्रहण क्षेत्र में भूजल के अतिदोहन का प्रबोधन करना तथा ऐसे विनियम बनाना जिनसे भूजल के अतिदोहन को रोका जा सके जो कि सतही प्रवाह के लिए हानिकारक है तथा जिनसे विशेष रूप से नदी प्रणाली में न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

(ढ) प्रत्येक वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ बेसिन राज्यों को भी प्रस्तुत करना।

(ण) ऐसे अन्य कार्य जो केन्द्रीय सरकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श करके सौंपना चाहे।

3. बोर्ड इस संकल्प के तहत अपने कार्यों को करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक सलाहकार समिति या समितियां नियुक्त कर सकता है।

4. बोर्ड आवश्यकता के अनुसार बैठक आयोजित करेगा किन्तु प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक अवश्य करेगा तथा भण्डारणों और नदी प्रणालियों से जल निकासी के तरीके तथा ब्यौरे सहित जल के उचित प्रबन्ध करने पर निर्णय लेगा ।

5. बोर्ड का अध्यक्ष अथवा विधिवत रूप से अधिकृत बोर्ड के प्रतिनिधियों में से किसी को भी किसी भूमि, सम्पत्ति, जिस पर सम्पूर्ण जल के प्रयोग के लिए कोई परियोजना या किसी परियोजना विकास या साथ संबंधी कोई कार्य या कोई अन्य जलवैज्ञानिक केन्द्र या मापक उपकरण का किसी राज्य द्वारा निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन किया गया है अथवा किया जा रहा है पर जाने का अधिकार होगा । इस संबन्ध में प्रत्येक राज्य अपने उपयुक्त विभागों के जरिए बोर्ड को तथा बोर्ड के अधिकृत प्रतिनिधियों को सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगा ।

6. बोर्ड को उतने कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा जितने कि वह अपने कार्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड सभी सदस्य राज्यों तथा केन्द्र से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा ।

7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पर किये जाने वाले व्यय को बेसिन राज्यों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा ।

8. बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित की व्यवस्था के लिए नियम और विनियम बना सकता है ।

(क) बोर्ड की बैठक के समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कार्यों के लिए अपनायी जाने वाली कार्य विधि का विनियम ।

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी को अधिकारों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन ।

(ग) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों का विनियमन ।

(घ) कोई अन्य मामला जिस पर बोर्ड विनियम बनाना आवश्यक समझता है ।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 16th March 1995

No. 103-Pres/95. -The President is pleased to award the Fire Services Medal for Gallantry to the undermentioned officer :-

Shri P. P. Venugopalan,
Fireman,
Kerala

Statement of service for which the decoration has been recommended :-

Northern part of Kerala is a flood prone zone because of incessant rain during South-Eastern Monsoon extending from June to August every year. The flood causes extensive damage to the properties and loss of human lives and cattles, as a regular routine feature.

By the morning of 13th July, 1994, a heavy land-slide occurred in the forest area of Mattara in Kallyad Panchayat of Kannur District of Northern Kerala. The area is situated on the bank of river Mattarapuzha. This resulted heavy flood innaundating vast area damaging all bridges dislocating all means of transportation and disrupted all line of communication system in the region. Mattara virtually become completely cut-off from the main land.

Sensing danger, most of the residents of Mattara moved to a safer place well in time except the family of one Shri Jose comprising of 5 members. By 9 A.M. of the day, the water of River Mattarapuzha crossed the danger level and the current become fierce. So, all attempts of the local people to rescue Shri Jose's family became impossible. At this, help of local Fire Service was sought and the Assistant Divisional Fire Officer, Kannur Fire Station turned out with 2 Fire Tenders and the crew for Mattara which was 55 Kms away. The crew members of the Fire Service included Shri P. P. Venugopalan, Fireman of Kannur Fire Station.

On reaching the spot, the Assistant Divisional Fire Officer made a detailed survey of the devasted area. On finding no other line of transportation and communication, it was decided to make a rope-link across the river. A manila rope was tied round a tough tree in the near bank of the river and the loose end was thrown away to the far bank of the river, where the stranded people were asked to tie it round another tough tree and thus a rope link was established. Then Shri P. P. Venugopalan, Fireman, unmindful of his personal safety, crossed the turbulent river by dangerous "Monkey crowl" technique with the support of the rope link. By that time, the foot of an extension ladder was tied to a tree and the extended portion was tied with a guide-line. The extended Aluminum ladder was then placed across the river Mattara and thus a temporary make-shift bridge was made. Shri P. P. Venugopalan, Fireman, then one by one evacuated the five marooned members of Shri Jose's family across the make-shift bridge and thus saving valuable lives even risking his own.

The prompt and decisive action of Shri P. P. Venugopalan, Fireman displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duties and above all, the attitude for self-less service of a high order.

This award is made for gallantry under rule 3(i) of the rules governing the Award of Fire Services Medal and consequently carries with it a special allowance admissible under Rule 5(a) as amended from time to time with effect from 13th July, 1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 104-Pres/95.—The President is pleased to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry to the undermentioned officer :—

Shri I. J. Badiger,
Instructor, C.T.I.,
Karnataka

Statement of service for which the decoration has been recommended :—

Talakad in Mysore District of Karnataka is a famous pilgrimage on the Bank of river Cauvery with five temples located therein. Once in seven years, "Yatras" are held for "Panchalinga Darshan" in Talakad which attracts many devotees from far off places. Last such "Yatra" was held from 7th to 13th December, 1993, when the Home Guards were deployed at Talakad for crowd control duties.

On 13-12-1993 at about 10 A.M., while fording the River Cauvery from opposite side, four pilgrims were trapped in a whirlpool and carried away by the under-current of the turbulent river. Their cry for help attracted the attention of Shri I. J. Badiger, Instructor, combined Home Guards and Civil Defence Training Institute, Karnataka, who was

in-charge of Home Guards deployment at Talakad on the occasion. On hearing the cry, Shri Badiger unmindful of his personal safety and without losing any time, jumped into the river and after a long struggle rescued all the four drowning persons from the whirlpool and under-current, to a place of safety. While shifting the rescued persons to a safer place on the bank of the river, he observed another group of about 70 persons attempting to wade through the water from the same danger-ous point. Shri Badiger warned them not to cross and later on guided them for a safe crossing and thus also helped in averting a major calamities.

The prompt and decisive action of Shri I. J. Badiger, Instructor displayed conspicuous gallantry, courage, presence of mind, devotion to duties and attitude for self-less service of a high order.

This award is made for gallantry under rule 3(i) of the rules governing the award of Home Guards and Civil Defence Medal and consequently carries with a special allowance admissible under rule 5 as amended from time to time with effect from 13th December, 1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 105-Pres/95.—The President is pleased to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry to the undermentioned officer :—

Shri Y. H. Krishanappa,
Sainik, C.T.I.,
Karnataka

Statement of service for which decoration has been recommended :—

On 20th April, 1994 at about 12.30 P.M. a young girl Kumari Mariya slipped into the Ulsoor lake in Bangalore and was drifted to about 15 Metres from the bank where the average depth of water was approximately 10 feet. The intervening distance was full of marsh and mire and water-weeds which made negotiation for rescue work a difficult task. On-lookers were all around but no help was forth-coming for the safety of the drowning girl.

Shri Y. H. Krishnappa, Home Guards (PC 251/Sainik) was on duty at the gate of Directorate of Civil Defence and Home Guards Office located in the area. On hearing the cry for help of the drowning girl and the commotion of the public, Shri Krishnappa without losing any time, rushed to the spot and without caring for his personal safety, jump-ed into the lake and swam across the marsh, mire and weeds and rescued the girl in a semi-conscious condition and brought her to a safer place on the bank of the lake. Later on he rendered all first aids to the girl including artificial respiration to bring her back to consciousness and normalcy.

The presence of mind and prompt action of Shri Y. H. Krishnappa Home Guard (PC 251/Sainik) displayed conspi-cuous gallantry, courage, devotion to duties and attitude for self-less service of a high order.

This award is made for gallantry under rule 3(i) of the rules governing the award of Home Guards and Civil Defence Medals and consequently carries with it a special allowance admissible under rule 5 as amended from time to time, with effect from 20th April, 1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 106-Pres/95.—The President is pleased to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry to the undermentioned officer :—

Shri S. S. Bhati, (*Posthumous*)
Guardsman,
Rajasthan

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

Shri Sarang Singh Bhati, Guardsman (Home Guard Volunteer No. 113 of Border Wing Home Guards, Bikaner) was deployed on law and order duties as auxilliary to Police on 7th December, 1992 in the communally sensitive Ram Ganj Police Station area of Jaipur when the communal tension was in the peak as on after-math of Babri Mashjid demolition in Ayodhya. On the fateful day, the patrolling party in which Late Bhati was a member, encountered a huge unruly mob armed with lathis, iron rods etc. striking terrors in the region. Shri Sarang Singh Bhati and the Patrol Party boldly faced the mob and tried to pacify them and control their further development. In the tussle, Shri Bhati got separated from the main patrolling party, but continued to resist the mob from further advancement single handedly by blowing the whistle and shouting at them. Suddenly, he was hit on the head with an iron rod by some rioters and subsequently fired at from a gun by some other rioters. Even with such grivcous wounds, Shri Bhati continue to resist the mob from further advancement till he succumbed to injuries.

In this encounter, Shri Sarang Singh Bhati, Guardsman (Home Guards Volunteer No. 113, Border Wing Home Guards, Bikaner) displayed conspicuous gallantry, courage, and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 3(i) of the rules governing the award of Home Guards and Civil Defence Medals and consequently carries with it a special allowances as admissible under rule 5 as amended from time to time, with effect from 7tm December, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 107/Pres/95.—The President is pleased to direct that the following amendment shall be made in the rules govern-ing the award of the President's Home Guards and Civil Defence Medal and Home Guards and Civil Defence Medal published in Part-I, Section 1 of the Gazette of India dated Saturday the 19th October, 1974, under Notification No. 101-Pres/74 dated 7th October, 1974, as amended from time to time.

HOME GUARDS AND CIVIL DEFENCE MEDAL

Rule 3(ii) shall be substituted as under :—

"For valuable service characterised by resource and devotion to duty including prolonged unbroken service marked by ability and merit and extending over ten to fifteen years for the regular paid employees of Home Guards and Civil Defence Organisation and for 8 years for the volunteer members of the aforesaid Organisation".

G. B. PRADHAN,
Director

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi-110 066, the 23rd February 1995

RESOLUTION

No. F. No. 4-6/92 (R)PREM.—In continuation of Government of India Notification No. 4-5/92(R)-PREM dated 8th September 1992, the tenure of Advisory Committee on Social Welfare Research constituted for a period of two years w.e.f. 1st September to 31st August 1994 in the Ministry of Welfare is hereby extended upto 31st December, 1994.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

BHAGWATI PARSHAD,
Joint Secy.

PREM DIVISION

The 24th February 1995

RESOLUTION

F. No. 1-18/93 (R)-PREM.—In supersession of Government Notification No. 4-5/92(R)-PREM dated 8-9-92 & 23-2-1995 the Combined Advisory Committee on Social Welfare Research for the Ministry of Welfare is hereby reconstituted to advise the Ministry of Welfare :

(i) on promotion/coordination and utilisation of research in social welfare, social policy and social development, Scheduled Castes Welfare and Scheduled Tribes Welfare;

(ii) to identify areas of research in the fields mentioned above;

(iii) to screen and approve of various research proposals/projects received from individuals/organisations; and

(iv) on any other matter relating to promotion of research in the said fields.

2. The Committee will have the following members :—

Chairman (Ex-officio)

1. Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Welfare.

Vice-Chairman (Ex-officio)

2. Additional Secretary,
Ministry of Welfare.

Members (Ex-Officio)

3. Joint Secretary (M&BC),
Ministry of Welfare.

4. Joint Secretary (SD),
Ministry of Welfare.

5. Joint Secretary (SCD),
Ministry of Welfare.

6. Joint Secretary (TD),
Ministry of Welfare.

7. Joint Secretary (HW),
Ministry of Welfare.

8. Adviser (Social Welfare),
Planning Commission.

9. Registrar General of India,
Ministry of Home Affairs.

10. Director General,
Central Statistical Organisation.

Members

11. Dr. Mitan Prasad,
BC-10E, DDA Flats,
Munirka, New Delhi-110067.

12. Shri Vasant Moon,
Chairman/Director,
Nalanda Charitable Trust,
Y-6/90, Government Colony,
Bandra (East), Bombay-400 051.

13. Prof. P. K. Bhowmick,
727, Lake Town,
Calcutta-700 089.

14. Prof. J. S. Bhandari,
Department of Anthropology,
University of Delhi,
Delhi.

15. Shri Lal Advani,
C/o Blind Relief Association,
Lal Bahadur Shastri Marg,
New Delhi-110003.

16. Smt. Shanti Ranganathan,
Hony. Secretary & Director,
T. T. Ranganathan Clinical Research Foundation,
TTK Hospital, 4 Main Road,
Indira Nagar, Madras-600020.

Members

17. Shri Narain Singh Manaklao,
Opium-De-addiction Treatment
and Research Trust,
P.O. Manaklao, Distt. Jodhpur,
Rajasthan.

18. Prof. Ghulam Rasool,
Head of the Post Graduate,
Department of Education,
University of Jammu, Jammu.

19. Dr. D. R. Gadekar,
Member, University Grants Commission,
B/1, Vikram Bagh,
Pratapganj, Vadodara-390002.

20. Prof. Mohd. Abbas Ali,
Andhra Pradesh Minorities Commission,
House No. 267,
H-Block, Secretariat,
Hyderabad-500022 (A.P.).

Member-Secy.

21. Joint Director (R),
PREM Division,
Ministry of Welfare.

3. The tenure of the members of the Committee will be two years i.e. from 1 January, 1995 to 31 December, 1996. Government, however, may reconstitute the Committee at any time.

4. No remuneration will be paid for membership of the Committee. The official members will, however, be entitled to draw TA/DA etc. for the journeys undertaken by them in connection with this assignment in accordance with the rules applicable to them from their respective offices. The non-official members of the Committee will be entitled to TA/DA for their journeys to attend meetings as admissible to officers of First Grade of the Governing of India.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

BHAGWATI PARSHAD,
Joint Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st March 1995

No. Q-16012/1/93-ESA(NLI).—WHEREAS reconstitution of the National Labour Institute was notified vide Notification No. Q-16012/1/93-ESA(NLI), dated the 18th August, 1994.

NOW in the said Notification, the following changes are hereby made :—

(i) *For* the existing entry :—
"Minister of State for Labour—President"

The following entry shall be substituted :—

"Union Minister for Labour—President"

(ii) For the existing entry under the heading

'CENTRAL GOVERNMENT REPRESENTATIVES (9) :—

"Shri G. K. Bhattacharya, —*Member*
Director General,
Employment & Training,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhawan, New Delhi."

The following entry shall be *substituted* :—

"Shri K. S. Sarma, —*Member*
Director General,
Employment & Training,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhawan, New Delhi."

P. P. P. BABU,
Labour & Employment Adviser

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 11th March 1995

RESOLUTION

No. 10(66)/74-IT.—WHEREAS the States of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi having their geographical areas in the Yamuna basin upto Okhla have signed a Memorandum of Understanding on 12th May, 1994 regarding allocation of surface flow of Yamuna upto Okhla (copy enclosed as Annexure-I) wherein clause 7(iii) provides that the allocation of available flows amongst the beneficiary States will be regulated by the Upper Yamuna River Board within the overall framework of the agreement.

2. AND WHEREAS the States have agreed on the establishment of Upper Yamuna River Board by the Central Government for the co-ordinated management of river Yamuna upto and including Okhla.

3. AND WHEREAS the States have agreed for the construction of the Renuka dam, Kishau dam, Lakhwar Vyasi Project, Hathnikund Barrage and Parallel Water Carrier System for Delhi, and have identified Chakra, Chami Naingaon, Arangpur and Dhouj/Kot Storage Projects for construction.

4. AND WHEREAS the States of Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh and NCT of Delhi have agreed that the States shall have exclusive right to the non-consumptive use of Yamuna water within their respective territories.

5. AND WHEREAS the States have agreed that a minimum flow in proportion of completion of upstream storages going upto 10 cumec shall be maintained downstream of Tajewala/Hathnikund and downstream of Okhla Headworks throughout the year from ecological considerations as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

6. NOW, THEREFORE, having recognised the need for coordinated development and management of Yamuna river upto Okhla and with a view to achieve optimal utilisation of the waters of river Yamuna, for maintaining the ecology of the river and for regulation and supply of water to the Basin States, an Upper Yamuna River Board with headquarters at Delhi is hereby constituted for the purpose on the following lines :—

(i) The Board shall perform its functions and exercise powers as conferred upon it in the Yamuna Valley upto Okhla Barrage or in such areas as the Central Government in consultation with the State Governments, may by Notification in the Official Gazette specify from time to time. The Central Government shall endeavour to secure agreement amongst the State Governments for this purpose.

(ii) The Constitution of the Board and its functions will be as given in the Annexure-II.

7. There shall be a Review Committee to be known as the Upper Yamuna Review Committee comprising the Chief Ministers (Governor in case of President's Rule) of the States of Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and the National Capital Territory of Delhi under the Chairmanship of the Union Minister/Minister of State for Water Resources which shall supervise the working of the Upper Yamuna River Board and to ensure implementation of MoU dated 12-5-94 regarding allocation of surface flow of Yamuna and issue directions as may be necessary for the proper development and management of the upper reaches of the Yamuna River Basin upto Okhla. Disagreement, if any, on the decisions of the Board may be referred to the Review Committee by a member of the Review Committee. The Committee shall meet at least once every year and shall consider the Annual Report presented by the Upper Yamuna River Board for further directions as may be necessary. The Upper Yamuna Review Committee shall frame its own rules and procedures. Chairman of the Upper Yamuna River Board shall be the Secretary of the Upper Yamuna Review Committee.

ORDER

ORDERED that this Resolution alongwith its Annexures be communicated to the State Governments of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of Central Government for information.

ORDERED also that the Resolution alongwith its Annexures be published in the Gazette of India and that State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

M. S. REDDY,
Secretary

ANNEXURE-I

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UTTAR PRADESH, HARYANA, RAJASTHAN, HIMACHAL PRADESH AND NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REGARDING ALLOCATION OF SURFACE FLOW OF YAMUNA

1. WHEREAS the 75% dependable notional virgin flow in the Yamuna river upto Okhla has been assessed as 11.70 Billion Cubic Metres (BCM) and the mean year availability has been assessed as 13.00 BCM.

2. AND WHEREAS the water was being utilised by the Basin States ex-Tajewala and ex-Okhla for meeting the irrigation and drinking water needs without any specific allocation.

3. AND WHEREAS a demand has been made by some Basin States on this account and the need for a specified allocation of the utilisable water resources of river Yamuna has been felt for a long time.

4. AND WHEREAS to maximise the utilisation of the surface flow of river Yamuna a number of storage projects have been identified.

5. AND WHEREAS the States have agreed that a minimum flow in proportion of completion of upstream storages going upto 10 cumec shall be maintained downstream of Tajewala and downstream of Okhla Headworks throughout the year from ecological considerations, as upstream storages are built up progressively in a phased manner

6. AND WHEREAS it has been assessed that a quantum of 0.68 BCM may not be utilisable due to flood spills.

7. NOW THEREFORE, considering their irrigation and consumptive drinking water requirements, the Basin States agree on the following allocation of the utilisable water resources of river Yamuna assessed on mean year availability :

1. Haryana	5.730 BCM
2. Uttar Pradesh	4.032 BCM
3. Rajasthan	1.119 BCM
4. Himachal Pradesh	0.378 BCM
5. Delhi	0.724 BCM

subject to the following :

(i) Pending construction of the storages in the upper reaches of the river, there shall be an interim seasonal allocation of the annual utilisable flow of river Yamuna as follows :—

States	Seasonal Allocation of Yamuna Waters (BCM)			
	July– Oct.	Nov. Feb.	March– June	Annual
Haryana	4.107	0.686	0.937	5.730
Uttar Pradesh	3.216	0.343	0.473	4.032
Rajasthan	0.963	0.070	0.086	1.119
Himachal Pradesh	0.190	0.108	0.080	0.378
Delhi	0.580	0.068	0.076	0.724
Total	9.056	1.275	1.652	11.983

Provided that the interim seasonal allocations will be distributed on ten daily basis.

Provided further that the said interim seasonal allocations shall get progressively modified, as storages are constructed, to the final annual allocations as indicated in para 7 above.

(ii) Separate agreement will be executed in respect of each identified storage within the frame work of overall allocation made under this agreement.

(iii) The allocation of available flows amongst the beneficiary States will be regulated by the Upper Yamuna River Board within the overall framework of this agreement.

Provided that in a year when the availability is more than the assessed quantity, the surplus availability will be distributed amongst the States in proportion of their allocations.

Provided also that in a year when the availability is less than the assessed quantity, first the drinking water allocation of Delhi will be met and the balance will be distributed amongst Haryana, U.P., Rajasthan and H.P. in proportion to their allocations.

8. This agreement may be reviewed after the year 2025, if any of the Basin States so demand.

9. We place on record and gratefully acknowledge the assistance and advice given by the Union Minister of Water Resources in arriving at this expeditious and amicable settlement.

New Delhi, the 12th May, 1994.

Sd/-
(Mulayam Singh Yadav)
Chief Minister
Uttar Pradesh

Sd/-
(Bhajan Lal)
Chief Minister
Haryana

Sd/-
(Bhairon Singh Shekhawat)
Chief Minister
Rajasthan

Sd/-
(Virbhadra Singh)
Chief Minister
Himachal Pradesh

Sd/-
(Madan Lal Khurana)
Chief Minister
Delhi

Sd/-
(Vidyacharan Shukla)
Minister (Water Resources)

In the presence of :—

ANNEXURE-II

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF UPPER YAMUNA RIVER BOARD

1. CONSTITUTION

The Board shall consist of Member, Central Water Commission as part time Chairman and one nominee each from the States of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi not below the rank of Chief Engineer, and a Chief Engineer of Central Electricity Authority and representatives of Central Ground Water Board and Central Pollution Control Board as part time members.

The Board shall have a full time Member Secretary. He shall be appointed by the Central Government for a period of three years at a time and be shall not belong to any of the basin States.

2. FUNCTIONS

The functions of the Upper Yamuna River Board shall include :—

(a) Regulation and supply of water from all storages and barrages upto and including Okhla Barrage, having regard to the agreements entered into or the arrangements made between the Governments of Basin States in pursuance of MoU dated 12-5-94 but keeping in view the peaking requirements of the existing and run-of-the river hydro power stations. The operation and maintenance of the control structures shall remain with the respective States as per agreements in respect of each structure. Should, at any time, there be a dispute regarding regulation of flows at any of the structures, the Board shall take over the operation and control of that structure till the dispute is resolved; provided such take over shall take place

with the approval of the Review Committee; provided further that if the Review Committee could not meet within 15 days, Chairman Review Committee shall take a decision in this regard.

(b) Maintenance of a minimum flow, in proportion of completion of upstream storages, going upto 10 cumec downstream of Tajewala/Hathnikund and downstream of Okhla Headworks throughout the year from ecological considerations as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

(c) Monitoring return flows from the waters withdrawn by Delhi from Yamuna after allowing for the consumptive use for the municipal and drinking water purposes as agreed to and after providing treatment to ensure the proper quality of the effluent as per standards of Central Pollution Control Board. For this purpose, the Board shall chalk out a plan in consultation with the concerned basin States detailing the location from where the raw water will be drawn and the quantum thereof and the points on which water drawn in excess shall be returned back to the system after proper treatment.

(d) Monitoring return flows from the water withdrawn from Yamuna by the States of Uttar Pradesh and Haryana for the purpose of silt exclusion.

(e) Monitoring flows from tail race of Khara hydel station into river Yamuna upstream of Hathnikund; provided that the design of Hathnikund Barrage should ensure optimum operation of Khara tail race channel and provision should also be made for stage II W.J.C. hydro electric project.

(f) Framing of rules and regulations for water accounting and determination of the shares of water for each State for every 10-day period for purpose of regulation.

(g) Keeping of concurrent records of the flow of the Yamuna at all stations considered necessary by the Board, consideration/completion of the records and determination of the volume of water flowing in river Yamuna in a water year.

(h) Keeping concurrent records of date of withdrawals for irrigation, domestic, municipal and industrial or any other purpose and of water going down the river below Okhla.

(i) Ensuring delivery of supplies to all the concerned States in accordance with their entitlements by taking all necessary measures, inter-alia, by giving directions as regards installation of self recording gauges, taking observations without hindrance, preparing rating curves etc. The selection of the control points at which the Board requires appropriate measures to be taken as mentioned above shall include, but not be limited to all points at which Yamuna discharges are being shared by more than one State and all regulation points on the concerned rivers and canals for determining the shareable supplies. The decision of the Board shall be final and binding so far as the selection of the control points are concerned. All the concerned States shall cooperate fully and shall carry out promptly the day to day directions of the Board in regard to regulation and control of supplies, operation of gates and any other matters in their territory, for ensuring delivery of supplies as determined by the Board in accordance with their entitlements.

(j) Coordination of activities relating to and giving of appropriate directions so as to ensure as best as possible, the following :

(1) Construction of different works keeping in view funds availability and the desirability of obtaining quick results;

(2) Integrated operation of schemes for various uses like water supply, irrigation, industries, hydroelectric power, flood control etc., including withdrawals during construction of various works consistent with the provisions in the agreements between the Basin States.

(3) Monitoring, conservation and upgrading the quality of the surface and ground waters; and

(4) Smooth implementation of Inter-State projects.

(k) Overviewing plans for catchment area treatment, watershed management, rehabilitation of affected population and conservation of the environment of Inter-State Projects and projects submerging areas in other States.

(l) Monitoring and reviewing the progress of all projects upto and including Okhla Barrage and advising on the phasing of projects on the basis of the work plans submitted by the Basin States.

(m) Monitoring of in consultation with the Central Ground Water Board, exploitation of ground water in the Upper Yamuna Catchment and formulation of such regulations as would prevent over-exploitation of the ground water detrimental to the surface flow especially for ensuring minimum flow in the river system.

(n) Submission of Annual Report of its work done during each year to the Central Government as also to the Basin States.

(o) Such other function as the Central Government may, after consultation with the Government of the States of Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi, may entrust to it.

3. The Board may, from time to time appoint one or more advisory committee or committees for the purpose of enabling it to carry out its functions under this Resolution.

4. The Board shall meet as often as necessary but at least once in every 3 months, and decide on a proper management of water including the manner and details of withdrawals from the storages and the river system.

5. The Chairman or any of the duly authorised representatives of the Board shall have power to enter upon any land property upon which any project or development of any project or any work of gauging or any other hydrological station or measuring device has been or is being constructed, maintained or operated by any State for the use of Yamuna waters. Each State through its appropriate Departments shall render all cooperation and assistance to the Board and its authorised representative in this regard.

6. The Board shall have powers to employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions. For this purpose, the Board shall make efforts to obtain staff from all member States and Centre on deputation.

7. The expenditure on Upper Yamuna River Board shall be shared equally by the basin States.

8. The Board may, with the previous approval of the Central Government, make rules and regulations to provide for :

(a) Regulating the time and place of meeting of the Board and the procedure to be followed for transactions of business at such meetings.

(b) Delegation of powers and duties of the Chairman or any official of the Board.

(c) The appointment and the regulation of the conditions of service of the officers and other staff of the Board.

(d) Any other matter for which regulations are considered necessary by the Board.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1995